for development and export of handicrafts and handloom products of Rajasthan. However in the overall Action Plan for exports from the country handicrafts and handloom products of Rajasthan are also covered.

(c) No State-wise allocation of funds is made in the handicrafts sector. However the total plan allocation in the handicrafts sector in the country including the State of Rajasthan has been to the tune of Rs. 223 crores during the Eighth Five Year Plan.

The funds released during the last three years for the development of handicrafts in the State of Rajasthan and in the country as a whole is as under:—

(Rs. in lakhs)

	1992-93	1993-94	1994-95
1. Rajasthan	31.38	36 31	30.76
2. All India	2873.60	3538 99	3593.06

(d) There is no specific proposal to give more incentives Rajasthan craftsmen. However, the craftsmen engaged in the production of embroidered textile products, zari and zardozi imitation jewellery and fashion accessories will get special attention during the current financial year.

निर्यात हकदारी वितरण नीति

6121. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्रों और परिधानों के लिए कोई निर्यात हकदारी वितरण नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस नीति के अन्तर्गत हुए कार्यकलापों की प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (**श्री जी0 वेंकट स्वामी**) : (क) और (ख) सरकार पिछले कई वर्षों से वस्त्र तथा परिधानों के लिए निर्यात हकदारी नीतियां (कोटा नीतियां) तैयार करती रही है । वर्तमान कोटा नीतियां 1 जनवरी, 1994 से प्रभावी हैं तथा 31-12-1996 तक वैध हैं ।

वर्तमान नीतियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) आवंटन पद्धतियों की संख्या परिधानों के मामले में 4 से घटाकर 3 तथा वस्त्रों के मामले में 7 से घटाकर 5 की गई हैं ।

(2) वस्त्र तथा परिधानों दोनों के मामले में विगत निष्पादन प्रणाली में 10 प्रतिशत विशेष रूप से ऐसे निर्यातकों को वितरित करने के लिए उद्दिष्ट किया गया है जिनकी इकाई मूल्य वसूली, आधार अवधि के दौरान औसत इकाई मूल्य वसूली से अधिक रही हो ।

(3) विगत निर्यात निष्पादन हकदारी तथा गैर-कोटा निर्यातक हकदारी का परिकलन करने के लिए आधार अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है ।

(4) कोटा का उपयोग करने के लिए आवंटन वर्ष को दो विभिन्न अवधियों में विभाजित करना समाप्त कर दिया गया है ।

(5) वस्त्रों तथा परिधानों को वर्ष 1995 के लिए फ्लोर कीमत संबंधी शर्त को समाप्त कर दिया गया है ।

(ग) इन नीतियों के अन्तर्गत कोटा राज्यवार आबंटित नही किए जाते हैं ।

हथकरघा और हस्तशिल्प मदों का उत्पादन और निर्यात

6122. **श्री आस मोहम्मद** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास हथकरघा और हस्तशिल्प मदों के उत्पादन के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) उक्त मदों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त मदों के निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) चूंकि हथकरघा और हस्त-शिल्प क्षेत्र विकेन्द्रिकृत प्रकार के हैं इसलिए उत्पादन आंकड़े रखना व मंगवाना संभव नही है तथापि हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के आंकड़ों का अनुमान हैंक यार्न की सिविल डिलीवरी (वितरण) से लगाया गया है । वहीं हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्पादन का अनुमान हस्तशिल्प के निर्यात के आधार पर लगाया जाता है जिसमें हीरे-जवाहरात भी शामिल हैं ।

(ग) हथकरघा क्षेत्र में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6950 मिलियन मीटर हथकरघा कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा हस्तशिल्प के उत्पादन का लक्ष्य 25200 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया जिसमें हीरे-जवाहरात भी शामिल हैं :—

(घ) गत 2 वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प जिसमें हीरे जवाहरात शामिल नहीं हैं के निर्यात के आंकडे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	सूती		कुल
	वस्त्र	मेड-अप	
हथ करघा			(लाख रुपयों में)
1993–94	281.59	1015.89	1297.48
1994–95	293.77	1058.73	1352.50
(फरवरी, 95 तक)			
हस्तशिल्प			व्यय करोड़ रु० में
1993–94			3360.20
1994–95			4458.30